राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : आलोक रंजन, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–01/2019

दायर दिनांक 01.05.2019
निर्णय दिनांक 29.11.2019

1. श्री कालूराम पिता श्री खेमजी रोत,
2. श्री मणीलाल पिता श्री देवजी डाबी
3. श्री हीरालाल पिता श्री कचरा रोत,
4. श्री धनराज पिता श्री रूपसी सरपोटा
5. श्री कानजी पिता श्री बदा ननोमा
6. श्री शंकर पिता श्री नाथू रोत
7. श्री धनपाल पिता श्री हकरा कलासुआ
8. श्री हरिश पिता श्री सवा भगोरा
9. श्री कालु पिता श्री दीतिया सरपोटा
10. श्री रामजी पिता श्री भेमजी मनात
11. श्री कान्ति पिता हुका डामोर
12. श्री जयशंकर पिता श्री भेमजी रोत
13. श्री नारायण पिता वेला डामोर
14. श्री सेंगा पिता भेमजी डाबी
15. श्री बापूलाल पिता देवजी सरपोटा
16. श्री मावजी पिता लालू डामोर

समस्त निवासीयान कानेला पटवार हल्का विराट तहसील सागवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0) ———अपीलार्थी

बनाम

1. श्री थोबजी पिता धूला पटेल,
2. श्री मोहनलाल पिता धूला पटेल
3. श्रीमती भूरी पत्नि श्री धूला पटेल (फौत)

समस्त निवासी विराट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)

4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश चौबीसा, अभिभाषक – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री लालसिंह, अभिभाषक – विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार – रेस्पाडेन्ट सं. 4 की ओर से

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र विरूद्ध विपक्षीगण के राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत जरिये मीसल संख्या 652/2010 दिनांक 22.12.2010 के द्वारा ग्राम विराट के खसरा संख्या 3409/1998 में आवंटित भूमि रकबा 3–00 बीघा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 धूला एवं विपक्षी संख्या 3 के नाम पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प विराट में

Scanned by CamScanner

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में जरिये मीसल संख्या 652/2010 दिनांक 22.12.2010 के द्वारा मौजा विराट की आराजी संख्या 3409/1998 रकबा 3–00 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। उक्त आवंटन में आवंटीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में आवंटन नियम 8(2), (8)3 की पालना नहीं होने, आवंटन 9, 10 (13)4, (13)5 व 15(2) की पालना नहीं होने, आवंटन से पूर्व राजस्व कर्मचारी द्वारा मौके का निरीक्षण नहीं करने, आवंटन की आम सूचना प्रकाशित नहीं करने, चरनोट व सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि आवंटित करने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने इत्यादि कारणों से आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर वकालतनाम प्रस्तुत हुआ तथा विपक्षी सं. 3 का पूर्व से ही देहान्त हो जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। मुताबिक सचि पेश दस्तावेज पत्रावली पर रखे गये। आदेश दिनांक 03.07.2019 के द्वारा विपक्षी संख्या 3 का नाम हटाया गया।

उभय पक्षों की बहस समायत की गई। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटीगण द्वारा वक्त आवंटन प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रपत्र संख्या 3 में आवंटन नियमों के तहत पालना नहीं की गई है। आवंटन प्रार्थना–पत्र कब, कहां व किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, वह स्पष्ट नहीं होता है। आवंटन के पूर्व मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण नहीं किया गया हैं। आवंटन की गई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की चरागाह भूमि हैं जिसका आवंटन नियमों में वर्जित हैं। आवंटित भूमि बाबत आम सूचना प्रकाशित नहीं की गई हैं जिससे अपीलार्थीगण उक्त भूमि के आवंटन के समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर पाये। आवंटन कमेटी के सभी मेम्बरो को बैठक की सूचना नहीं भेजी गई है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक समाप्त होने के पूर्व उक्त भूमि आवंटन करने के संबंध में निर्णय नहीं लिखा गया हैं एवं न हीं भूमि आवंटन के साथ आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस दिया गया है। विपक्षीगण को आवंटित उक्त भूमि के पास ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय विराट की भूमि आराजी संख्या 3412/1998 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा स्थित है, जिससे भी भविष्य के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए पास की भूमि आराजी संख्या 3409/1998 की चरनोट भूमि का विपक्षीगण के नाम आवंटन किया जाना उचित नहीं था। अतः विपक्षीगण के नाम आवंटित भूमि आवंटन निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित योग्य अभिभाषक ने प्रस्तुत जवाब में दोहराते हुए कथन किया कि भूमि का आवंटन भूमि आवंटन नियमों की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमानुसार किया गया हैं। आवंटित भूमि पर आवंटीगण का पुराना काश्त कब्जा था जिसकी पेनाल्टीयां भी जमा कराई जाती रही थी। आवंटीगण ने भूमि में अथक परिश्रम करते हुए तथा भारी राशि व्यय कर भूमि को काश्त योग्य, उपजाउ व उन्नत बनाया गया

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

एवं भूमि की सुरक्षा हेतु बाड़ लगा इसमें लगातार काश्त की जा रही थी, जिस कारण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर इस चरागाह भूमि का चरागाह से खारिज करते हुए बिलानाम काबिल काश्त में परिवर्तित की गई थी तथा बदले में अन्यत्र भूमि चरागाह कायम की गई थी, जिससे आवंटन के बता आवंटित भूमि चरागाह की भूमि नहीं होकर आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी। विपक्षागण के योग्य अभिभाषक का आगे कथन है कि आवंटीगण का आवंटित भूमि पर विगत 30–35 वर्षो से निर्बाधित रूपेण अविरल शांतिपूर्ण काश्त कब्जा चला आ रहा है तथा आवंटित भूमि हेतु सिंचाई की सुविधा करते हुए इसमें खरीफ व रवी दोनों फसलें काश्त की जा रही हैं। विपक्षगण को आवंटन प्रार्थीगण की जानकारी में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 में मजमे आम में किया गया है तथा उसकी समय विद्यालय की भूमि का भी आवंटन हुआ हैं किन्तु उक्त वक्त किसी के द्वारा भी आपत्ति नहीं की गई थी। विपक्षीगण का आवंटित भूमि एवं विद्यालय की भूमि में काफी दुरी हैं। विद्यालय के भविष्य के विस्तार हेतु भी भूमि उपलब्ध है। विपक्षीगण की उपजाउ व उन्नत भूमि जिस पर विपक्षीगण विगत 30–35 वर्षो से लगातार काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि बावत लगातार पेनाल्टियां, भू–राजस्व व अन्य कर जमा करते आ रहे हैं तथा भूमि काबिल काश्त में परिवर्तन हो नियमानुसार आवंटन हो आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं, उस भूमि को अब निरस्त करना न्याय संगत नहीं हैं। आवंटीगण ने किसी प्रकार से नियमों के विपरीत भूमि का आवंटन नहीं करवाया हैं एवं न हीं किन्हीं तथ्यों को छिपाया हैं। प्रार्थीगण ग्राम कानेला के निवासी है जबकि आवंटित भूमि ग्राम विराट में स्थित होकर आवंटित भूमि बाबत अब आपत्ति करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षीगण की भूमि विधिवत रूपेण रेकार्ड में बिलानाम का0का0 में परिवर्तित होकर नियमानुसार आवंटित भूमि है तथा इसके खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त हो जोने से अब इसे निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज किया जावें। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीर 2016(1) आर.आर.टी.576 भेरूराम बनाम डिस्ट्रीक कलेक्टर सीकर एवं 2018 (2) डी.एन.जे. (राज.) 726 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शंकरलाल प्रस्तुत की गई । पेरोकार सकरार बतौर फार्मल पक्षकार उपस्थित रहें।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान पठन किया गया। भूमि आवंटन आवंटन सलाहकार समिति ने जरिये मिसल नंबर 652/2010 दिनांक 22.12.2010 के द्वारा ग्राम विराट के ख.नं. 1409/1998 में रकबा 3–00 बीघा विपक्षीगण के स्व0श्री धुला पिता लक्सी पटेल एवं विपक्षी संख्या 3 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया हैं। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 4(1) एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चरागाह भूमि आवंटन किया जाना निषेध हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम विराट की नामान्तरकरण संख्या 888 दिनांक 13.04.2010 एवं जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 535–37 दिनांक 10.03.2010 से स्पष्ट है कि विवेचित भूमि सार्वजनिक हितार्थ चरागाह से बिलानाम

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

घोषित की गई थी। सार्वजनिक हितार्थ की भूमि को किसी व्यक्ति विशेष को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि ग्राम के राजकीय प्रयोजनार्थ विकासीय कार्यो के उपयोग हेतु किये जाने के उद्देश्य से की गई थी। विपक्षी के आवंटन आवेदन में पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में विवेचित भूमि के उपयोग का उल्लेख नहीं किया जाने की भारी भूल की हैं। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आर.आर.टी. 2016(1) के पृष्ठ संख्या 576 भेरूराम बनाम जिला कलक्टर सीकर में मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2015 की नजीर पेश की हैं जिसमें ''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा–76–चरागाह भूमि का आवंटन–अपील खारीज की–रिपोर्ट दर्शाती हैं कि भूमि अतिक्रमण अधीन थी–कलेक्टर ने भूमि की किस्म 'चरागाह' खारिज की–सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि की किस्म परिवर्तित की–निर्णीत, भूमि आवंटन के आदेश में अवैधता नहीं हैं''। उक्त नजीर के अवलोकन एवं मनन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक हितार्थ हेतु चरागाह भूमि की किस्म बिलानाम दर्ज करने का उद्देश्य राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किये जाने का उद्देश्य होता हैं। उक्त स्थिति में विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण में आवंटी का समर्थन नहीं करती है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम विराट की आ.नं. 3409/1998 रकबा 3 बीघा विपक्षी के स्व0 पिता एवं विपक्षी संख्या 3 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया भूमि आवंटन निरस्त किया जाता हैं। तहसील सागवाडा पूर्ववत् बिलानाम दर्ज कर भूमि सार्वजनिक हितार्थ उपयोग हेतु रखी जाने का राजस्व रिकार्ड में भी अंकन कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Ranjan
Date: 2019.12.10 16:08:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: